Email

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र

क्रमांक एफ 4 (3) /छात्र /अजा/सा.न्या.अ.वि./14–15/ 18060-72 जयपुर, दिनांक 25/03/2015

1. **निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर।**
2. **सहायक प्रोफेसर मानसिक विकलांग शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर।**
3. **प्राचार्य राजकीय ....महाविद्यालय......................................**
4. ....

विषय :– अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 का राज्य आयोजना मद में से प्राप्त समर्पण /वापस ली गई राशि का पुनः आवंटन।

उपरोक्त विषय में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को **वर्ष 2012–13, 2013–14 की बकाया एवं 2014–15 हेतु** उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की नियमानुसार स्वीकृत किये जाने हेतु राज्य आयोजना मद में आवंटित राशि में से आहरण वितरण अधिकारी से प्राप्त समर्पण/वापस ली गई राशि को मांग के अनुसार रूपये 2.552 लाख (अक्षरे दो लाख पचपन हजार दो सो मात्र) पुनः आवंटित करते हुए राशि रूपये कॉलम संख्या 7 के अनुसार संशोधित किया गया है। उक्त उल्लेखित वित्तीय वर्षो के आवेदन पत्रों की ही छात्रवृति स्वीकृत की जावे।

छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :–

1. वार्षिक आय के प्रमाणीकरण के लिए वर्ष 2013–14 से विभागीय पत्र क्रमांक एफ 9 (4)( ) /छात्र/आवेदन/सानयाअवि./2011/63202–493 दिनांक 21.08.2013 द्वारा जारी एक पृष्ठीय आय का उद्घोषणा/शपथ पत्र मान्य किया गया तथा उक्त आय उद्घोषणा/शपथ पत्र के साथ–साथ पूर्व में राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या प.13(34)राज/ग्रुप–1/2012 दिनांक 09.08. 2012 द्वारा जारी आय उद्घोषणा/शपथ पत्र भी मान्य होगा। आवेदक के माता –पिता/संरक्षक राज्य/केन्द्र सरकार की सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र व गत वर्ष के फॉर्म नं. 16 मान्य होगा।
2. गत वर्षों की बकाया (वर्ष 2012–13 से 2013–14) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम किया जावे।
3. मान्यता प्राप्त डीम्ड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृति स्वीकृत करने के अनुकम में विभागीय पत्र कमांक एफ.9(4)(58)छा/सान्याअवि/89–90/ 29113–145 दिनांक 01.04.11 की पालना सुनिश्चित करें।
4. निजी शिक्षण संस्थाओ तथा राज्य से बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियो की छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने से पूर्व मान्यता एवं सम्बद्धता की पूर्ण जॉच करली जावे।
5. सभी पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृति का भुगतान संबंधित छात्र/छात्राओं के बैंक खाते के माध्यम से किया जावे।
6. छात्रवृत्ति स्वीकृत करने से पूर्व विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशो एवं भारत सरकार द्वारा जारी उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति नियमों के परिपेक्ष्य में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु पात्रता यथा निजी शिक्षण संस्थाओं के भौतिक सत्यापन, आय,जाति, अन्य कोई छात्रवृत्ति नही लिये जाने, दोहरा भुगतान नही होने इत्यादि की जॉच कर संतुष्टि उपरान्त ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाये।

अनियमित/गलत स्वीकृति जारी किये जाने की स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे।

7. बजट आंवटन की सीमा में व्यय किया जावें एवं प्रत्येक आहरण–वितरण अधिकारी व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र जी.ए. 19 में प्रतिमाह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से भिजवाये।

8. प्रवर्तित आय–व्यय अनुमान 2014–15 में आयोजना व्यय एवं केन्द्र प्रवतित योजना के लिए प्रावधान आयोजना के अन्तर्गत ही किया गया है।

छात्रवृति स्वीकृत करते समय महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर एवं विभागीय जांच दल द्वारा अंकित किए गए आक्षेपों को ध्यान में अवश्य रखें। सूचना भेजते समय हस्ताक्षर के नीचे कृपया अपना नाम और टेलीफोन नम्बर, ई–मेल आईडी अवश्य अंकित करें, ताकि पत्र व्यवहार एवं कार्यवाही में सुगमता रहे।

यदि आवंटित में कोई बचत रहती है तो विभागीय आईएफएमएस आईडी कोड 6341 पर ऑनलाईन समर्पित करें। बजट आवंटन के प्रति विभागीय वेबसाईट **www.sje.rajasthan.gov .in** पर भी उपलब्ध है। साथ ही अनुरोध है कि पूर्व एवं इस आवंटित बजट के आधिक्य व्यय/बचत तथा लाभान्वित छात्र–छात्राओं की पृथक पृथक सूचना ई.मेल. आई डी. **sjeraj_edu@yahoo.com** दिनांक 31.03.2015 तक आवश्यक रुप से भिजवायें। बचत/आधिक्य की सूचना के अभाव में आवंटित बजट को पूर्ण व्यय मान लिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सलंग्न : परिशिष्ट "क"

(डॉ.हरसहाय मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
अ.जा.ज.जा. कल्याण

क्रमांक प 9 (4) (3) /छात्र /अजा/सा.न्या.अ.वि./14–15/ 18073-92 जयपुर, दिनांक 25/03/201

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, ...
3. वितीय सलाहकार,/परियोजना निदेशक (एस.सी.पी.)/संयुक्त निदेशक (योजना), मुख्यावास।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास को बजट ऑनलाईन करने एवं विभागीय वेबसाईट पर डलवाने हेतु
5. लेखाकार (बजट)/अंक मिलान, मुख्यावास।

(डॉ. हरसहाय मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
(अ.जा.ज.जा. कल्याण)

परिशिष्ठ " क "

अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र–छात्राओं की उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 का राज्य आयोजना मद में से प्राप्त समर्पण/वापस ली गई राशि का पुनः आवंटन।

मांग संख्या –51

2225–अनु. जातियों/अनु. जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण

01– अनुसूचित जातियों का कल्याण

789– अनुसूचित जाति के लिए विशिष्ठ संघटक

(01)– निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के माध्यम से

00– छात्रवृतियां

13– छात्रवृति और वजीफा (आयोजना मद)

(राशि रूपये लाख में)

क्र.सं.	आहरण एवं वितरण अधिकारी	आई.डी.कोड	पूर्व आवंटन	समर्पित राशि	पुनः आवंटन	संशोधित आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा	19676	5.200	0.021	0.000	5.179
2	प्राचार्य राजकीय संस्कृत महाविद्यालय उदयपुर	19793	0.150	0.006	0.000	0.144
3	प्राचार्य, राज. बांगड महाविद्यालय,पाली	282	6.000	0.002	0.000	5.998
4	प्राचार्य, राज. आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, भरतपुर	19813	2.980	0.532	0.000	2.448
5	प्राचार्य, राज. शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, चौथ का बरवाडा	19815	1.000	0.016	0.000	0.984
6	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सिरोही	19699	4.000	0.874	0.000	3.126
7	प्राचार्य, राज. चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा	1906	2.000	1.101	0.000	0.899
8	निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर	1558	5.000	0.000	0.530	5.530
9	प्राचार्य, राज. संस्कृत महाविद्यालय, अजमेर	19798	1.600	0.000	0.033	1.633
10	प्राचार्य,राज.शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर	23608	0.400	0.000	0.120	0.520
11	प्राचार्य, राज. शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, सरमथुरा	19812	0.600	0.000	0.260	0.860
12	प्राचार्य, राज. महाविद्यालय, निवाई	31262	0.200	0.000	1.309	1.509
13	सहायक प्रोफेसर मानसिक विकलांग शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर	23938	0.200	0.000	0.300	0.500
	योग		**29.330**	**2.552**	**2.552**	**29.330**

(अक्षरे रूपये दो लाख पचपन हजार दो सौ मात्र)

24/3/15

(डॉ. हरसहाय मीणा)

अतिरिक्त निदेशक

अ.जा.ज.जा. कल्याण